भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1068

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

आंध्र प्रदेश में कौशल विकास परियोजनाएं

1068. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुल कितनी कौशल विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितने संस्थान कार्यरत हैं; और

(घ) इन कौशल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितने लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), आंध्र प्रदेश सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल युक्त करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना का उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशल विकास प्रदान करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वजीफा के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण / व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है।

(ख) पीएमकेवीवाई और जेएसएस योजनाओं के तहत, निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। जेएसएस योजना के तहत, गैर-सरकारी संगठनों को सीधे धनराशि जारी की जाती है। एनएपीएस के तहत, प्रतिष्ठानों को वजीफा सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। आईटीआई के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन के पास है।

आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 2023-24 तक जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	**जारी निधि**
पीएमकेवीवाई	48.42
जेएसएस	9.70
एनएपीएस	14.45

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों (टीसी) की संख्या निम्नानुसार है:

योजना	**प्रशिक्षण केंद्र**
पीएमकेवीवाई	365
जेएसएस	6
एनएपीएस*	1097
सीटीएस (आईटीआई)^	522

**एनएपीएस योजना के तहत, डेटा प्रतिष्ठानों की संख्या के लिए है।*

^सीटीएस योजना के तहत, डेटा कुल आईटीआई (सरकारी और निजी) से संबंधित है।

(घ) पिछले तीन वर्षों (2023-24) के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में एमएसडीई की उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:

योजना	**प्रशिक्षित लाभार्थी**
पीएमकेवीवाई	51,418
जेएसएस	38,699
एनएपीएस	53,626
सीटीएस (आईटीआई)	1,44,290

*****